न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोक

(श्री कैलाश चन्द गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

दावा संख्या – 5/2015
निर्णय दिनांक– 03.01.2018

उनवान

1–सुतीक्षण मीना पुत्र श्री कालुराम मीना निवासी सी–7 महेश नगर टोंक फाटक जयपुर

– वादी

बनाम

1– बजंरगा पुत्र रामनिवास जाति भील निवासी श्योराजपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक

2– रतन पुत्री रामनिवास जाति भील निवासी श्योराजपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक

3– काली पुत्री रामनिवास जाति भील निवासी श्योराजपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक

4– छोटी बेवा पत्नि रामनिवास जाति भील निवासी श्योराजपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक

5– गंगाराम पुत्र बिरधा जाति भील निवासी श्योराजपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक

6– रामफुल पुत्र केसरा जाति मीना निवासी बिठोला तहसील व जिला टोंक

7– तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोंक

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित– श्री के0एल0 ठाडा वादी वकील

श्री श्योजी लाल चौधरी प्रतिवादी वकील

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह है कि वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की खरीदशुदा आराजी खसरा नम्बर 13 रकबा 0.88 है0 वाके ग्राम ककोड तहसील उनियारा जिला टोक मे स्थित है। वादग्रस्त

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

आराजीयात वादी ने जरिये इकरारनामा दिनाक 16.10.2014 को खातेदारान प्रतिवादी न0 1 ता 4 से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था, तब से वादग्रस्त आराजी पर वादी का निरंतर कब्जा काश्त चला आ रहा है।

वादी का उक्त आराजी पर खरीद के समय से ही निरंतर बिना किसी बाधा के कब्जा काश्त चला आ रहा है, परन्तु अब प्रतिवादीगण 1 ता 4 के दिल मे बेईमानी आने लगी है तथा उन्होने वादग्रस्त आराजी उनके नाम खातेदारी मे दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाते हुए वादग्रस्त आराजी ख0न0 1713 रकबा 0.88 है0 वाके ग्राम ककोड मे से 0.22 है0 भूमि प्रतिवादी न0 6 के नाम दिनांक 07.01.2015 को विक्रय पत्र पंजीयन करवा दिया ,जबकि मौके पर आज भी वादी का कब्जा काश्त है। भुमि प्रतिवादी न0 1 ता 4 द्वारा प्रतिवादी न0 5 को विक्रय कर देने के कारण अब प्रतिवादी न0 6 वादी के हक व अधिकारो को चैलेन्ज करते हुए जबरन आराजी पर कब्जा करने पर आमादा है, जिसका उन्हे कोई हक व अधिकार नही है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी व प्रतिवादी उपस्थित। वादी व प्रतिवादी ने उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया गया। जो निम्न प्रकार है। जो पूर्व मे खसरा न0 1713 रकबा 0.88 है0 वाके ग्राम ककोड तह0 उनियारा मे स्थित है। उपरोक्त खसरा नम्बर 1713 की भूमि पूर्व के राजस्व रिकार्ड मे बजंरगा पुत्र रामनिवास, रतनी पुत्री रामनिवास, काली पुत्री रामनिवास, छोटी पत्नि रामनिवास समस्त निवासीयान ग्राम श्योराजपुरा तहसील उनियारा जिला टोक के नाम खातेदारी मे दर्ज रिकॉर्ड मे है। उपरोक्त परिस्थितियो के कारण उपरोक्त तीनो पक्षो मे विवाद होने की स्थिति पैदा हो गई थी। इस कारण भूमि के सम्बन्ध मे आपसी विवाद को निपटाने के लिए तीनो पक्षो ने निम्न शर्तो के अध्यधीन यह इकरारनामा तहरीर एवं तकमील किया गया है। आराजी खसरा न0 1713 रकबा 0.88 है0 वाके ग्राम ककोड तहसील उनियारा के 1/2 हिस्से मे से 0.44 है0 मे से 0.22 है0 भुमि रामफूल पुत्र केसरा के नाम रहेगी। शेष 0.22 है0 भुमि बजंरगा के नाम रहेगी। रामफुल 0.22 है0 मे से 1/2 अर्थात 0.11 है0 भुमि का विक्रय पत्र सुतीक्षण के नाम करवाएगा। बजरंगा 0.22 है0 भुमि सुतीक्षण के नाम जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र करवाएगा। पक्षकारान ने आपस मे आपसी सहमति व राजीखुशी से प्रतिफल की अदायगी कर दी है तथा कोई भी प्रतिफल का लेना देना शेष नही है। यह राजीनामा पक्षकारान ने राजीखुशी व आपसी सहमति से बिना किसी दबाव व बिना नशे पते के स्वतन्त्र इच्छा से प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष के मध्य तहरीर करवा दिया है। जो दोनो पक्षकारान पर बाध्यकारी रहेगा।

पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो व राजीनामा का मनन किया गया। आराजी खसरा न0 1713 रकबा 0.88 है0 वाके ग्राम ककोड तहसील उनियारा के 1/2 हिस्से मे से 0.44 है0 मे से 0.22 है0 भुमि रामफुल पुत्र केसरा के नाम रहेगी। शेष 0.22 है0 भूमि बजंरगा के नाम रहेगी। रामफुल 0.22 है0 मे से 1/2 अर्थात 0.11 है0 भूमि का विक्रय पत्र सुतीक्षण के नाम करवाएगा। बजरंगा 0.22 है0 भूमि सुतीक्षण के नाम जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र करवाएगा। पक्षकारान ने आपस मे आपसी सहमति व राजीखुशी से प्रतिफल की अदायगी कर दी है तथा कोई भी प्रतिफल का लेना देना शेष नही है। यह राजीनामा पक्षकारान का तस्दीक

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

किया जाता है। पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर तस्दीक कराया जावे। तत् पश्चात तहसीलदार उनियारा को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद किया जावे। फरिकेन खर्चा अपना–अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली दफ्तर दाखिल किया जावे। निर्णय मजमे आम खुले न्यायालय मे दिनाक 03.01.2018 को सुनाया गया।

(कैलाश चन्द गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा
जिला टोंक (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(श्री कैलाश चन्द गुर्जर आर.ए. एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)
(डिक्री मुकदमा इब्तदाई)

दावा संख्या – 5/2015
निर्णय दिनांक– 03.01.2018

उनवान

1–सुतीक्षण मीना पुत्र श्री कालुराम मीना निवासी सी–7 महेश नगर टोंक फाटक जयपुर

– वादी

बनाम

1– बजंरगा पुत्र रामनिवास जाति भील निवासी श्योराजपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक

2– रतन पुत्री रामनिवास जाति भील निवासी श्योराजपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक

3– काली पुत्री रामनिवास जाति भील निवासी श्योराजपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक

4– छोटी बेवा रामनिवास जाति भील निवासी श्योराजपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक

5– गंगाराम पुत्र बिरधा जाति भील निवासी श्योराजपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक

6– रामफुल पुत्र केसरा जाति मीना निवासी बिठोला तहसील व जिला टोंक

7– तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोंक

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा, दुरूस्ती, इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित– श्री के0एल0 ठाडा वादी वकील

श्री श्योजी लाल चौधरी प्रतिवादी वकील

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री कैलाश चन्द गुर्जर आर0ए0एस उपखण्ड अधिकारी उनियारा के समक्ष पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि आराजी खसरा न0 1713 रकबा 0.88 है0 वाके ग्राम ककोड तहसील उनियारा के 1/2 हिस्से मे से 0.44 है0 मे से 0.22 है0 भुमि रामफूल पुत्र केसरा के नाम रहेगी। शेष 0.22 है0 भुमि बजंरगा के नाम रहेगी। रामफुल 0.22 है0 मे से 1/2 अर्थात 0.11 है0 भूमि का विक्रय पत्र सुतीक्षण के नाम करवाएगा। बजरंगा 0.22 है0 भूमि सुतीक्षण के नाम जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र करवाएगा।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

पक्षकारान ने आपस मे आपसी सहमति व राजीखुशी से प्रतिफल की अदायगी कर दी है तथा कोई भी प्रतिफल का लेना देना शेष नही है। यह राजीनामा पक्षकारान का तस्दीक किया जाता है। पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर तस्दीक कराया जावे। तत्पश्चात तहसीलदार उनियारा को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद किया जावे। फरिकेन खर्चा अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली दफ्तर दाखिल किया जावे। निर्णय मजमे आम खुले न्यायालय मे दिनाक 03.01.2018 को सुनाया गया।

(कैलाश चन्द गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा
जिला टोंक (राज0)

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner